

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री कांतिलाल उपाध्याय पुत्र श्री जगन्नाथ उपाध्याय
जति उपाध्याय

सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखंड अधिकारी, आबूपर्वत

निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला, सांतपुर, आबूरोड

तहसील आबूरोड जिला सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 8 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.05.2019	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 8.4.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय ग्राम पंचायत उमरनी के कार्यरत सचिव/ पदेन सचिव श्री प्रदीप मीणा के विरुद्ध जांच कार्यवाही की गई थी। आप द्वारा की गई उक्त जांच कार्यवाही की जांच रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 8.4.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय ग्राम पंचायत उमरनी के कार्यरत सचिव/ पदेन सचिव श्री प्रदीप मीणा के विरुद्ध जांच कार्यवाही की गई थी। आप द्वारा की गई उक्त जांच कार्यवाही की जांच रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी, आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p>(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	